जस्ती सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D.(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 1978/श्रावण 6, 1900
No. 221] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 1978/SRAVANA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1978

**सा. का. नि. 386(अ).**—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 14 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1169, तारीख 2 जुलाई, 1963 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, स्तंभ 1 में 'उच्च घनत्व पोलीथीन आधान' मद के सामने स्तंभ 3 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) 4.0
(2) 2.0
(3) 1.0"

[फा. सं. 13 वी. पी. (2)/77]
टी. बालाकृष्णन, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION**
**(Department of Civil Supplies and Cooperation)**

ORDER

New Delhi, 28th July, 1978

**G.S.R.** 386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 14 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, as continued in force by sub-section (2) of section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 1169, dated the 2nd July, 1963, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for the entry in col. 3, against item "High-density polythene containers" in column 1, the following entries shall be substituted, namely :-

"(i) 4.0
(ii) 2.0
(iii) 1.0"

[No. 13-VP(2)/77]

T. BALAKRISHNAN, Vegetable Oil Products Controller for India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978